

सं. प्रो.वि./फरीदाबाद/17-85/11354.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. बी. के. एफ.स्ट्रीट, प्लाट नं. 122 सेक्टर-6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री एम सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

प्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-अम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पहले हुये अधिसूचना सं. 11495-जी.अम 88-अम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री प्रेम सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो यह किस राहत का हकदार है?

दिनांक 22 माघ, 1985

सं. प्रो.वि./फरीदाबाद/222-84/11656.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एसोसिएटिड रिफ़ैक्ट्री गॉप मजैसर, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री रमई राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

प्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-अम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पहले हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-अम 88-अम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री रमई राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो यह किस राहत का हकदार है?

सं. प्रो. वि./फरीदाबाद/222-84/11663.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एसोसिएटिड रिफ़ैक्ट्री गॉप मजैसर, फरीदाबाद के श्रमिक राम लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

प्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-अम/68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पहले हुये अधिसूचना सं. 11495-जी-अम 88-अम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो यह किस राहत का हकदार है?

सं. प्रो. वि./फरीदाबाद/222-84/11670.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एसोसिएटिड रिफ़ैक्ट्री गॉप मजैसर, फरीदाबाद, के श्रमिक भिव नाथ तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

प्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ,

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-अम 68/15254, दिनांक 20

जून, 1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं० 11495-जी-अम/88-अम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री शिव नाथ की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

दिनांक 25 मार्च 1985

सं० ओ० वि०/अम्बाला/3-83/12129.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० नियन्त्रक मृदण तथा लेखन सामग्री हरियाणा, चन्डागढ़, हरियाणा गर्वमेंट प्रिंटिंग प्रेस पंचकुला, (जिला अम्बाला) के श्रमिक श्री जोगा राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है ;

क्या श्री जोगा राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 8 अप्रैल 1985

सं० ओ० वि०/पानीपत/18-85/14700.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० पंकज वूलन मिल, पानीपत, (नजदीक प्रेम मन्दिर) के श्रमिक श्री राज पाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)-84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री राज पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/फरीदाबाद/51-85/14700.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० बाटा इण्डिया लि० एन० आई० टी० फरीदाबाद के श्रमिक श्री मुरारी लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-अम :8/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-अम88-अम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री मुरारी लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?